संख्या-७०/2016/2198/52-1-16-1(19)/2009

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 30 अगस्त, 2016

विषय **11वीं** पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-शाहजहांपुर** के जलालाबाद एवं तिलहर में दो-2 छात्रावास सहित 02 राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण हेतु केन्द्रांश की अवशेष **द्वितीय किश्त** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(11)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 03.12.2010 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-169/52-1-2011-02(एम०एस०डी०पी०)/2011, दिनांक 28 फरवरी, 2011, शासनादेश संख्या-4346/52-1-2011-02(एम०एस०डी०पी०)/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 तथा शासनादेश संख्या-921/52-1-2015-02(एम०एस०डी०पी०)/2011, दिनांक 27 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा उक्त दोनों पालिटेक्निक के लिए **उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि० लखनऊ को** कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(11)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 29.09.2015 तथा पत्र संख्या-3/19(11)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 28.03.2016 से क्रमशः जलालाबाद एवं तिलहर के पालिटेक्निक के निर्माण हेतु कुल अनुमोंदित लागत रू0 2460.00 लाख के सापेक्ष अवशेष **द्वितीय किश्त** के रूप में प्राप्त कुल केन्द्रांश रू0 12,30,00,000/- (रू0 बारह करोड़ तीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पालिटेक्निक के लिए प्रावधानित बजट रू0 5000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasnadesh.up.nic.in

(केन्द्रांश 100 प्रतिशत) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	अवमुक्त **द्वितीय किश्त**		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शाहजहांपुर	जलालाबाद में 02 छात्रावास सहित राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण	01	1230.00	1230.00	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00
	तदैव	तिलहर में 02 छात्रावास सहित राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण	01	1230.00	1230.00	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00
		योग=	**02**	**2460.00**	**2460.00**	**0.00**	**1230.00**	**1230.00**	**0.00**	**1230.00**

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

1- धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि में से सिविल वर्क की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि० लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी तथा उपकरण/फर्नीचर आदि की धनराशि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 08 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही व्यय की जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पालिटेक्निक की लागत में से सिविल वर्क पर रूपये 800**.00** लाख तथा उपकरण मशीनरी वाहन आदि पर रू0 430**.00** लाख व्यय होने के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी। समय-2 पर

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का पालन भी किया जायेगा।

4- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से उक्त विवरण अंकित किया जायेगा।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण के मानक, विशिष्टियॉं, मशीनरी एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित है।

7- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

8- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां तथा पूर्णता का प्रमाण पत्र निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जोयगा । तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसकी सूचना शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को दी जायेगी ।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य से सम्बन्धित सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

14- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 100/रा0 00-के0)-**24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2198(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों

का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।

9- प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि० लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत जलालाबाद एवं तिलहर के दो-02 छात्रावास सहित प्रत्येक राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in